न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA128 Goparam n ors Vs Likhamaram etc

1. गोपाराम पुत्र लालूराम मेघवाल
2. सुवटी पत्नी घेवरराम मेघवाल
3. रामदीन पुत्र बींजाराम मेघवाल
4. हरदास पुत्र बिरमराम मेघवाल
5. काली पत्नी बिरमराम मेघवाल
6. लदू पुत्री बिरमराम मेघवाल
7. ओमप्रकाश पुत्र रूपाराम मेघवाल
8. शान्ति पुत्री ,रूपाराम मेघवाल
9. सुशीला पुत्री रूपाराम पत्नी अर्जुनराम मेघवाल
10. कमा पुत्री रूपाराम पत्नी पप्पाराम मेघवाल

निवासीगण अरटियाकलां, तहसील भोपालगढ

जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. लिखमाराम पुत्र धूलाराम जाट
2. बचनाराम पुत्र धूलाराम जाट
3. खींयाराम पुत्र धूलाराम जाट
4. घेवरराम पुत्र धूलाराम जाट
5. रामकिशोर उर्फ अशोक पुत्र सुजाराम माली
6. बींजाराम पुत्र हप्पाराम माली
7. माधाराम पुत्र हप्पाराम माली
8. भागीरथ पुत्र हप्पाराम माली
9. बाया पुत्री हप्पाराम माली
10. गुडिया पुत्री हप्पाराम माली
11. खुशी पत्नी हप्पाराम माली
12. खुमाराम पुत्र बालुराम माली
13. अणदाराम पुत्र सुखाराम माली
14. चेनाराम पुत्र सुखाराम माली
15. केशाराम पुत्र सुखाराम माली
16. मोहनसिंह पुत्र सदाराम माली
17. घेवरराम पुत्र सदाराम माली

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

18. हरकु बेवा सदाराम माली
निवासीगण अरटियांकलां, तहसील भोपालगढ
जिला जोधपुर
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ
जिला जोधपुर

-----रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ (कैम्प कोर्ट अरटियां कलां) दिनांक 18 जून 2018 राजस्व प्रकरण संख्या 01/2016 लिखमाराम व अन्य बनाम गोपाराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-
श्री सुगनमल परिहार एवं श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्तागण-अपीलाण्ट्स
श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से चार
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 19
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 5 से 18

नि र्ण य

दिनांक : 22 नवम्बर 2019

अपीलाण्ट ने यह उपखण्ड अधिकारी, भोपालगढ द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 01/2016 लिखमाराम व अन्य बनाम गोपाराम आदि में पारित आदेश दिनांक 18 जून 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 19 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251-ए के तहत एक प्रार्थनापत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत कर ग्राम अरटियांकलां स्थित अपनी खातेदारी कब्जे काश्त के खसरा संख्या 585 एवं 577 से खसरा संख्या 595 गैरमुमकिन रास्ता (ग्राम अरटियाकलां से बन्धडा) तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण संख्या एक से दस की खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खसरा संख्या 586 एवं 587 तथा उसके पडौस में अप्रार्थीगण संख्या 11 से 14 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त के खसरा संख्या 588 से होकर 15 फीट चौडा एवं 1056 फीट लम्बा रास्ता प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये बिन्दु ए-बी-सी-डी नियमानुसार दिये जाने का निवेदन किया और जाहिर किया कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

उक्त प्रार्थनापत्र का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण संख्या एक व ग्यारह से चौबीस ने जबाब पेश कर विरोध किया। इसके बाद दिनांक 18 जून 2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प कोर्ट अरटियांकलां के दौरान तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होना जाहिर करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाब-प्रार्थनापत्र में स्पष्ट कर दिया गया था कि मामले में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी की आराजियात के दोनों ओर पक्की सडक उपलब्ध है, प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार अपनी खातेदारी कब्जे काश्त के खसरा संख्या 585 एवं 577 से खसरा संख्या 595 गैरमुमकिन रास्ता (ग्राम अरटियाकलां से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बन्धडा) तक आवागमन हेतु रास्ता चाहते है, किन्तु इस संबंध में राजस्व नक्शें एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी का संयुक्त अवलोकन करने से जाहिर होता है कि जमाबंदी (खतौनी) ग्राम अरटियां कलां पटवार क्षेत्र अरटियां कलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुचेटी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर राजस्थान संवत 2061 से 2064 में कॉलम संख्या 4 में प्रार्थीगण-रेस्पो. के नाम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 में उनके खातेदारी एवं काश्त की आराजियात खसरा नम्बर 572, 573, **577**, 580, 581, **585**, 855, 941, 579 व 858/1 कुल दस खसरान दर्ज है। राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनमें से खसरा संख्या 581 खसरा संख्या 548 गैरमुमकिन रास्ता से चिपता हुआ है, अर्थात उक्त खसरा संख्या 581 तक आवागमन के लिए अलग से किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं पडती है। इसके बाद खसरा संख्या 581 - 579 - 577 - 585 परस्पर जुडे हुए है। जाहिर है कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार को अपने खातेदारी के उक्त खसरा संख्या 585 व 577 तक आवागन के लिए अलग से किसी रास्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वस्तुतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा अपनी खातेदारी के अन्य खसरान बाबत तथ्यों को छिपा कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया गया है, अतः अपीलाधीन आदेश एवं प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार का मूल प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए अपास्त किया जावे।

अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट अरटियांकलां में मुकर्रर किये जाने बाबत कोई सम्यक एवं समुचित सूचना भी नहीं दी गयी। मौका रिपोर्ट दिनांक 18

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जून 2018 को अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त होना दर्शाते हुए उसी रोज अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, यानि मौका रिपोर्ट के संबंध में उज्र-एतराज का अवसर भी नहीं दिया गया। मौका रिपोर्ट तैयार करने के संबंध में न तो पक्षकारान को मौके पर उपस्थित रहने बाबत सूचित किया गया और न ही पक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गयी और न ही मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान या किसी मोतबिरान के हस्ताक्षर है। अतः इस मौका रिपोर्ट पर आधारित अपीलाधीन आदेश इस कारण भी खारिज किये जाने योग्य है।

जबाब में रेस्पो. संख्या एक से चार की ओर से अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि प्रार्थीगण-रेस्पो. ने खसरा संख्या 598 गैरमुमकिन रास्ता (ग्राम अरटियाकलां से बन्थडा) तक आवागमन हेतु रास्ते की मांग की थी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा अन्य आम-रास्ते खसरा संख्या 548 तक आवागमन का विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः यह कहना उचित नहीं है कि प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा तथ्यों को छिपा कर अपीलाधीन आदेश प्राप्त किया गया है। नियमों में निकटतम दूरी का रास्ता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्हीं प्रावधानों की पालना करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने के कारण तदनुसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। साथ ही प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार की खातेदारी के खसरा नम्बर 585 व 577 (जहाँ तक आवागमन हेतु रास्ते

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की मांग की गयी) से संबंधित राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं राजस्व नक्शे का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया जाता है कि जमाबंदी (खतौनी) ग्राम अरटियां कलां पटवार क्षेत्र अरटियां कलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बुचेटी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर राजस्थान संवत 2061 से 2064 में कॉलम संख्या 4 में प्रार्थीगण-रेस्पो. के नाम दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 में उनके खातेदारी एवं काश्त की आराजियात खसरा नम्बर 572, 573, **577**, 580, 581, **585**, 855, 941, 579 व 858/1 कुल दस खसरान दर्ज है। राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इनमें से खसरा संख्या 581 खसरा संख्या 548 गैरमुमकिन रास्ता से चिपता हुआ है, अर्थात प्रार्थीगण-रेस्पो. की खातेदारी के उक्त खसरा संख्या 581 तक आवागमन के लिए अलग से किसी रास्ते की आवश्यकता नहीं पडती है। इसके बाद खसरा संख्या 581 - 579 - 577 - 585 परस्पर जुडे हुए है। जाहिर है कि प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार को अपने खातेदारी के उक्त खसरा संख्या 585 व 577 तक आवागन के लिए अलग से किसी रास्ते की कोई आवश्यकता ही नहीं है। नियमों में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निकटत्म और लघुतम दूरी का रास्ता उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रार्थी की मंशा अनुसार, उसकी खातेदारी भूमि के चहुँ ओर रास्ते उपलब्ध कराये जावे।

अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों एवं मंशा को सही तौर पर समझने में त्रुटि की गयी है और संबंधित नियमों की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिवत पालना भी अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व सुनिश्चित नहीं की गयी है।

इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जून 2018 समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है, जो तदनुसार खारिज करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। साथ ही प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जाता हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर